न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 25/2025

श्री परसादी निवासी रहमानपुरा, पोस्ट झुण्डवा तहसील उनियारा टोंक राज0
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 01.05.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

मुझे ग्राम पंचायत झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक द्वारा दिनांक 1.07. 2017 को आबादी भूमि में पट्टा दिया था। रसीद संख्या 41 दिनांक 1.07.2017 द्वारा अब पंचायत वी.डी.ओ. ने मेरे पट्टे पर गैर आबादी का रिमार्क डाल दिया जिससे वह तहसील में रजिसटर्ड नही रहा मुझे निम्न जानकारी चाहिए

1 जब मेरा घर 2017 में आबादी भूमि पर था तो 2025 में गैर आबादी में केसे हो गया जबकि हम 35 साल से उस जगह पर रह रहै है। मेरा घर गांव की बीच में है उसके दौनो साइड मकान है। अगर यह जगह गैर आबादी में थी तो 2017 में पट्टा क्यो जारी किया

2 मेरे घर वर्तमान में रहमानपुरा खसरा नंबर 109 व खाता संख्या 107 में है। यह जमीन ग्राम पंचायत की गैर मू. आबादी के नाम से है। मुझे पट्टा बनवाने के लिए क्या करना पडेगा

3 मेरे गॉव के 30 प्रतिशत मकानो को ही अभी आबादी मे माना जाता है जबकि पुरा गॉव इस जगह 35 साल से रह रहा है। इसे अब तक आबादी क्षेत्र में क्यो नही माना गया।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 422 दिनांक 24.03.2025 व 523 दिनांक 08.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 417 दिनांक 17.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक को कार्यालय के पत्र कमांक 359 दिनांक 24.03.2025 से अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को

जिला कलेक्टर
टोंक

653

पत्र कमांक 360 दिनांक 24.03.2025 से सूचित कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के प्रथम अपीलेट अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नही है। अपीलान्ट लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक के द्वारा सूचना नही दिये जाने की स्थिति में उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)